कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/साप्र/ए–2/टंकण परीक्षा/2019/22 दिनांक :– 10.07.2019

संयुक्त निदेशक (समस्त) **रजिस्टर्ड–पत्र**
संभाग स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल,

विषय :– अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों को कम्प्युटर टंकण परीक्षा के संबंध में।

प्रसंग :– शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक पं.12(2) शिक्षा–2/टंकण परीक्षा/2016 दिनंक 25.06.19 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 3(1)कार्मिक/क–2/2013 दिनांक 28.05.2018 द्वारा मृतक आश्रितों को कम्प्यूटर टंकण गति परीक्षा में शिथिलन का अवसर दिये जाने हेतु प्रशासनिक विभाग को अधिकृत किये जाने के फलस्वरूप माह जून–2018 से नवम्बर–2018 तक तीन वर्ष की सेवा उपरान्त भी टंकण परीक्षा उतीर्ण नहीं करने वाले अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के मॉक टंकण टेस्ट हेतु निदेशालय द्वारा दिनांकवार कार्यक्रम जारी कर कार्मिकों को शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर कार्यालय उपस्थिति होने हेतु अधिनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया था। इस क्रम में शासन द्वारा लगभग सभी कार्मिकों का परीक्षा परिणाम जारी किया जा चुका है।

राज्य सरकार के पत्रांक प.12(2) शिक्षा–2/टंकण परीक्षा/2016 दि. 09.01.19 के क्रम मे कार्यालय के पत्रांक शिविरा–माध्य/साप्र/ए–2/टंकण परीक्षा/वो–II/18/206 दि.16.01.19 एवं स्मरण पत्र दिनांक 15.02.2019 द्वारा परिपत्र जारी कर आपको निर्देशित किया गया था कि जब भी परीक्षा कार्यक्रम निदेशालय द्वारा जारी किया जावेगा इससे पूर्व उक्त समस्त कार्मिकों को व्यक्तिशः जरिये रजिस्टर्ड डाक तथा संबंधित संस्था प्रधान के माध्यम से मॉक टेस्ट हेतु पूर्ण तैयारी तथा वांछित कम्प्युटर योग्यता के साथ कार्मिकों को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त के क्रम में शासन ने निर्देशित किया हैं कि कार्मिक विभाग के पत्र दिनांक 28.05.18 एवं उक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रदत्त निर्देशो की पालना में मॉक टेस्ट हेतु पूर्व में अनुत्तीर्ण कार्मिको को एक बार पुनः निर्देशित करने के साथ ही सितम्बर 2019 से उक्त कार्मिको को मॉक टेस्ट हेतु उपस्थित होने के संबंध में पूर्व के अनुसार समय–सारणी जारी करने हेतु लिखा है।

अतः उक्त प्रासंगिक पत्र के क्रम में पूर्व मे प्रदत्त निर्देशो की पालना करते हुए निर्देशित किया जाता हैं कि शासन के निर्देशानुसार नियुक्ति के 03 वर्ष के अंदर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नही करने वाले आपके अधीन जिलो से संबद्ध कार्मिको की सूचना संलग्न प्रपत्र में जांचोपरान्त एवं प्रपत्र में उल्लेखित समस्त दस्तावेजात सहित इस कार्यालय को समेकित सूचना **MS Excel** में **DevLys 010** फोन्ट में तैयार कर **दिनांक 29.07.2019 तक** सॉफ्ट कॉपी कार्यालय की **E-Mail ID :- sogad2015@gmail.com** पर एवं हार्ड कॉपी भिजवाना सुनिश्चित करें। निर्धारित प्रपत्र में समस्त कॉलमो की पूर्ति आवश्यक हैं तथा उल्लेखित वांछनीय दस्तावेज भी संलग्न कर आवश्यक रूप से भिजवाया जावें, आधी अधूरी एवं गलत सूचना भिजवाए जाने पर उत्पन्न विपरीत परिस्थितियां के लिए आप स्वंय व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगें।

संलग्न :– प्रपत्र मय पूर्व में जारी परिपत्र

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर।

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
2. समस्त जि.शि.अ.(मु.) माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान को निर्देशित किया जाता हैं उपर्युक्त निर्देशो की पालना करते हुए निर्धारित प्रपत्र में आपके जिले की समेकित सूचना संबंधित सयुंक्त निदेशक को दिनांक 22.07.2019 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। **(संलग्न प्रपत्र मय पूर्व में जारी परिपत्र)**
3. अनुभाग अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वैब साईट पर अपलोड करने हेतु।

उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

नियुक्ति तिथी के 03 वर्ष उपरान्त भी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नही करने वाले कार्मिको को राज्य सरकार स्तर पर शिथिलन प्रदान करवाए जाने हेतु प्रस्ताव :–

क्र.सं.	जिला	कार्मिक नाम	पदस्थापन स्थान	Empolye ID	नियुक्ति तिथी (DD-MM-YYYY)	कार्मिक के आर.के.सी.एल अथवा अन्य समकक्ष कम्प्युटर दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण संबंधी विवरण/दिनांक	राज्य सरकार द्वारा पूर्व में मॉक टेस्ट/शिथिलन हेतु कार्मिक गया हैं अथवा नहीं	कॉलम नं. 08 अनुसार शिथिलन हेतु कार्मिक गया है तो निम्न सूचना अंकित करें				मॉक टेस्ट में अनुत्तीर्ण होने पर कारण बताओं नोटिस जारी करने की दिनांक	कारण बताओं नोटिस का कार्मिक द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर दिनांक	मॉक टेस्ट में उत्तीर्ण किन्तु जिला स्तर टंकण परीक्षा में अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित की स्थिति	विशेष विवरण
								पूर्व में मॉक टेस्ट हेतु जारी टाईम टेबल अनुसार कार्मिक को ग्रुप–2 विभाग में उपस्थित होने की दिनांक	मॉक टेस्ट में उत्तीर्ण	मॉक टेस्ट में अनुउत्तीर्ण	मॉक टेस्ट में अनुपस्थित				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2															
3															

नोट :–

1. उपरोक्त सूचना में सभी कॉलमो की पूर्ति करना अनिवार्य हैं। सूचना सही एवं जांच परीक्षण उपरान्त ही अंकित करें।
2. अधूरी /गलत सूचना प्रेषित करने पर विपरीत परिस्थितिया उत्पन्न होने पर आप स्वंय की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
3. कॉलम संख्या 07 अनुसार आरकेसीएल/समकक्ष कम्प्युटर दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने पर.ही टंकण परीक्षा शिथिलन/मॉक टेस्ट हेतु नाम/प्रस्ताव भिजवाया जावें।
4. उपरोक्त कॉलम संख्या 13 अनुसार जो कार्मिक पूर्व में राज्य सरकार को मॉक टेस्ट में भिजवाए जाने पर अनुपस्थित रहे हैं, उनको जारी किए गए कारण बताओं नोटिस की प्रति संलग्न करें।
5. उपरोक्त कॉलम संख्या 14 अनुसार (जो कार्मिक अनुपस्थित रहे हैं) कारण बताओं नोटिस के संबंध में प्रत्युत्तर की प्रति संलग्न करें

संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा ....

www.rajteachers.com

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/साप्र/ए–2/टंकण परीक्षा/वो–II/2018/206 दिनांक :– 16.01.19

संयुक्त निदेशक
संभाग स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल, (समस्त)

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (समस्त)

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (समस्त)

समस्त प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक

विषयः– अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों को कम्प्युटर टंकण परीक्षा के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्रांक प.12(2) शिक्षा–2/टंकण परीक्षा/2016 दिनांक 09.01.2019 के क्रम में लेख है कि कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(1)कार्मिक/क–2/2013 दिनांक 28.05.2018 द्वारा मृतक आश्रितों को कम्प्यूटर टंकण गति परीक्षा में शिथिलन का अवसर दिये जाने हेतु प्रशासनिक विभाग को अधिकृत किये जाने के फलस्वरूप माह जून–2018 से नवम्बर–2018 तक तीन वर्ष की सेवा उपरान्त भी टंकण परीक्षा उतीर्ण नहीं करने वाले अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के मॉक टंकण टेस्ट आयोजित करवाये गये थे।

कार्यालय हाजा द्वारा जारी परीक्षा कार्यक्रम अनुसार उप शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर में बुलाये गये लगभग 1500 कार्मिकों में से लगभग 100 कार्मिक ही मॉक टंकण टेस्ट में उत्त्तीण हो पाये हैं, जो कि उत्तीर्ण प्रतिशत के लिहाज से बहुत कम है तथा उक्त कार्मिकों की अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही का द्योतक है।

उल्लेखनीय है कि कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 3 (1) कार्मिक/क–2/2013 दिनांक 28.05.2018 के अनुसार मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों के रूप में अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त ऐसे कार्मिक जिन्होंने नियुक्ति के तीन वर्ष उपरान्त टंकण गति परीक्षा उत्त्तीर्ण नहीं की ऐसे कार्मिकों को संबंधित जिला कलक्टर कार्यालय में आयोजित होने वाली टंकण गति परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व में मॉक टंकण टेस्ट उत्त्तीर्ण किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में कार्मिक विभाग के उक्त परिपत्र के अनुसार ऐसे कार्मिकों को प्रशासनिक विभाग में मॉक टंकण टेस्ट हेतु दो अवसर दिये जाने की व्यवस्था किये जाने के प्रावधानानुसार शिक्षा विभाग के ऐसे लगभग समस्त कार्मिकों को एक मॉक टेस्ट का अवसर दिया जा चुका है। अब दिया जाने वाला मॉक टेस्ट का अवसर उक्त समस्त कार्मिकों हेतु अन्तिम (दूसरा) अवसर होगा। यदि उक्त कार्मिक अब दिये जाने वाले अन्तिम अवसर में भी उत्त्तीण नहीं हो पाते है तो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में लिया जाने वाला आगामी निर्णय उक्त समस्त कार्मिकों के लिए अहितकर हो सकता है।

यहाँ यह भी उल्लेखित किया जाता है कि प्रथम मॉक टेस्ट हेतु प्रशासनिक विभाग में बुलाये गये कार्मिकों में से अधिकांश कार्मिक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आवश्यक वांछित कम्प्यूटर योग्यता (RKCL-RSCIT) धारक नहीं थे, ऐसे कार्मिकों को मॉक टंकण टेस्ट में सम्मिलित नहीं किया गया था। अतः दूसरे मॉक टेस्ट हेतु उन्हीं कार्मिकों को परीक्षा कार्यक्रम में सम्मिलित किया जावेगा जिनके पास कम्प्युटर योग्यता प्रमाण पत्र हो। इस हेतु कार्मिकों की कम्प्यूटर योग्यता की जॉच संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, के स्तर पर की जाने के उपरान्त ही मॉक टेस्ट हेतु नाम प्रेषित किया जावे।

16.1.19

www.rajteachers.com

अतः अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त कनिष्ठ सहायकों हेतु कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(1) कार्मिक/क–2/2013 दिनांक 28.05.2018 के अनुसार मॉक टेस्ट हेतु दिये जाने वाले दूसरे एवं अन्तिम अवसर का परीक्षा कार्यक्रम निदेशालय द्वारा जारी किया जावे इससे पूर्व उक्त समस्त कार्मिकों को व्यक्तिशः जरिये रजिस्टर्ड डाक तथा संबंधित संस्थाप्रधान के माध्यम से मॉक टेस्ट हेतु पूर्ण तैयारी तथा वांछित कम्प्युटर योग्यता के साथ उपस्थित होने हेतु निर्देशित कराने का श्रम करावें, ताकि मॉक टेस्ट में उत्तीर्ण होने वाले कार्मिकों का प्रतिशत पूर्व में प्रथम अवसर हेतु उपस्थिति कार्मिकों की भांति दयनीय नहीं हो। साथ ही निर्देशानुसार निर्देशित किया जाता है कि उक्त अन्तिम अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी उत्तीर्ण नहीं हो पाने वाले कार्मिकों के विरूद्ध होने वाली कार्यवाही अथवा उत्पन्न होने वाली समस्त प्रकार की विषम परिस्थितियों, जिनमें सेवा से पृथक किया जाना भी हो सकता है, हेतु स्वयं अभ्यर्थी जिम्मेदार होंगे।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर।

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

01. शासन उप सचिव (ग्रुप–2) राजस्थान सरकार, जयपुर को उनके पत्रांक प.12(2) शिक्षा–2/टंकण परीक्षा/2016 दि. 09.01.2019 के क्रम में।
02. कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेब साईट में अपलॉड किए जाने हेतु।
03. रक्षित पत्रावली

16.01.19

(घीसालाल शर्मा)
उप निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/साप्र/ए–2/टंकण परीक्षा/वो–II/2018/347 दिनांक :– 15-02-19

संयुक्त निदेशक
संभाग स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल, (समस्त)

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (समस्त)

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (समस्त)

विषयः– अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों को कम्प्युटर टंकण परीक्षा के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 3(1)कार्मिक/क–2/2013 दिनांक 28.05.2018 द्वारा मृतक आश्रितों को कम्प्यूटर टंकण गति परीक्षा में शिथिलन का अवसर दिये जाने हेतु प्रशासनिक विभाग को अधिकृत किये जाने के फलस्वरूप माह जून–2018 से नवम्बर–2018 तक तीन वर्ष की सेवा उपरान्त भी टंकण परीक्षा उतीर्ण नहीं करने वाले अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के मॉक टंकण टेस्ट हेतु निदेशालय द्वारा दिनांकवार कार्यक्रम जारी कर कार्मिकों को शासंन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर कार्यालय उपस्थिति होने हेतु अधिनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया था। [redacted] क्रम में शासन द्वारा लगभग सभी कार्मिकों का परीक्षा परिणाम जारी किया जा चुका है।

राज्य सरकार के पत्रांक प.12(2) शिक्षा–2/टंकण परीक्षा/2016 दि. 09.01.19 एवं कार्यालय के पत्रांक शिविरा–माध्य/साप्र/ए–2/टंकण परीक्षा/वो–II/18/206 दि. 16.01.19 द्वारा परिपत्र जारी कर अधिनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि जब भी परीक्षा कार्यक्रम निदेशालय द्वारा जारी किया जावेगा इससे पूर्व उक्त समस्त कार्मिकों को व्यक्तिशः जरिये रजिस्टर्ड डाक तथा संबंधित संस्था प्रधान के माध्यम से मॉक टेस्ट हेतु पूर्ण तैयारी तथा वांछित कम्प्युटर योग्यता के साथ कार्मिकों को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किए जाने हेतु लिखा गया था।

उक्त निर्देश प्रदान किए जाने के पश्चात भी उक्तानुसार बिना जॉच परिक्षण/कार्यवाही किए निदेशालय को प्रथम एवं द्वितीय मॉक टंकण टेस्ट में सम्मिलित किए जाने हेतु आवेदन/प्रार्थना पत्र सीधे ही कार्मिकों के स्वयं के स्तर/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी स्तर/ प्रधानाचार्य स्तर/प्रधानाध्यापक स्तर/ जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त हो रहे है। इस क्रम में अधिनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि राज्य सरकार एवं निदेशालय के पत्र दिनांक 09.01.19 एवं 16.01.19 अनुसार मृतक आश्रितों को कम्प्यूटर टंकण गति परीक्षा में शिथिलन का दूसरा एवं अंतिम अवसर प्रदान किए जाने से पूर्व ऐसे कार्मिकों को व्यक्तिशः जरिये रजिस्टर्ड डाक तथा संबंधित संस्था प्रधान के माध्यम से मॉक टेस्ट हेतु पूर्ण तैयारी तथा वांछित कम्प्युटर योग्यता अर्जित होने संबंधित कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात ही **उक्त कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजों सहित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से प्रस्ताव भिजवाये जावें।**

साथ ही लेख है कि जो कार्मिक शासन द्वारा दिनांकवार आयोजित हुई प्रथम मॉक टंकण परिक्षा देने हेतु शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर में निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रहे है, उन कार्मिकों के जारी परिक्षा परिणाम में शासन ने निर्देश प्रदान किए गए है कि ऐसे कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जावें, इस क्रम में निदेशालय द्वारा भी अधिनस्थ [redacted]कारियों को निर्देश प्रदान किए गए थे। अतः जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा ऐसे अनुपस्थिति कार्मिकों के नाम पुनः भिजवाने से पूर्व उक्त कार्मिकों को दिए गए कारण बताओ नोटिस की प्रति के साथ कार्मिक के प्रतिउत्तर की प्रति भी भिजवावें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर।

www.rajteachers.com